

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
पुराना सचिवालय, सिंघाई भवन परिसर, पटना-800015

दूरभाष सं0-0612-2215041, 2215152,
email - scdisability2008@gmail.com, Website : scdisabilities.org

पत्रांक-...1221/आ.नि.१

दिनांक-15 सितम्बर 2020

नोटिस-पत्र

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-संलग्न सूची अनुसार

दिनांक-25.04.2020 को आयोजित राज्य स्तरीय व अग्रतर विविध तिथियों को प्रमण्डलवार आयोजित ऑनलाईन ई-कोर्ट के दौरान जिला लखीसराय के शिकायतकर्ता दिव्यांगजन (सूची संलग्न) वादी

बनाम

- (1) जिला कार्यक्रम प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र (सम्बन्धित प्रखण्ड के लिए प्रतिनियुक्त बुनियाद कर्मी), लखीसराय।
- (2) सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, लखीसराय।
- (3) प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, लखीसराय।
- (4) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लखीसराय।
- (5) जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा, लखीसराय।
- (6) प्रोग्राम ऑफिसर (PO) मनरेगा सम्बन्धित प्रखण्ड, जिला-लखीसराय।
- (7) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सम्बन्धित प्रखण्ड, जिला-लखीसराय।
- (8) अनुमण्डल पदाधिकारी, सम्बन्धित अनुमण्डल, जिला-लखीसराय।
- (9) असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO), स्वास्थ्य, लखीसराय।
- (10) उप विकास आयुक्त (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना), जिला-लखीसराय।

..... प्रतिवादी

प्रकरण में :- दिनांक-25.04.2020 को आयोजित राज्य स्तरीय व अग्रतर विविध तिथियों को प्रमण्डलवार आयोजित ऑनलाईन ई-कोर्ट के दौरान जिला लखीसराय के शिकायतकर्ता दिव्यांगजन के मामलों की सुनवाई एवं तत्संबंध में पारित आदेश का अनुपालन/कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं अनुपालन स्थिति की सुनवाई के सम्बन्ध में।

चूँकि दिनांक-25.04.2020 को आयोजित राज्य स्तरीय व अग्रतर विविध तिथियों को प्रमण्डलवार आयोजित ऑनलाईन ई-कोर्ट के दौरान जिला लखीसराय के शिकायतकर्ता दिव्यांगजनों द्वारा जिले के विविध क्षेत्रीय पदाधिकारियों के विरुद्ध ऑनलाईन माध्यम से परिवाद पत्र समर्पित की गयी है। प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-82 के तहत अलग-अलग वाद गठित करते हुए मामलों की सुनवाई की गई एवं इस सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। विविध सुनवाई की तिथियों को पारित आदेश कार्यालय के विविध आदेश पत्रांकों के तहत आपको पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं। पारित आदेश का एक निश्चित समय सीमा के भीतर अनुपालन किया जाना था। संलग्न प्रपत्र में आपके जिले से सम्बन्धित विविध मामलों की वाद संख्या व संबंधित विवरण सहित सूची संलग्न है। सम्बन्धित वादों के निष्पादन व शिकायतकर्ता दिव्यांगजन को इस सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने हेतु प्रत्येक वाद के सम्बन्ध में पारित आदेश के अनुपालन/कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। शिकायतकर्ता दिव्यांगजनों द्वारा भी अपनी शिकायत के समाधान नहीं होने का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित वादों में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की माँग की जा रही है।

विदित होगा कि, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामलों में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

कृप०३०.....


उपरोक्तानुसार जिला विशेष के वादी द्वारा समर्पित परिवाद पत्र एवं तदनुसार गठित विविध वादों के निष्पादन हेतु विचारोपरांत एतद् द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि दिनांक-25.04.2020 को आयोजित राज्य स्तरीय व अग्रेतर विविध तिथियों को प्रमण्डलवार आयोजित ऑनलाईन ई-कोर्ट के दौरान जिला लखीसराय के शिकायतकर्ता दिव्यांगजन के मामलों की सुनवाई एवं तत्संबंध में पारित आदेश का अनुपालन/कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। संलग्न प्रपत्र में आपके जिले से सम्बन्धित विविध मामलों की वाद संख्या व संबंधित विवरण सहित सूची संलग्न है, जिसके अनुरूप पारित आदेश का अनुपालन/कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सकता है।

इस मामले में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक-28.09.2020 को पूर्वाह्न 11:30 बजे समेकित प्रतिवेदन के साथ सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र (सम्बन्धित प्रखण्ड के लिए प्रतिनियुक्त बुनियाद कर्मी), लखीसराय स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, पटना में अपना जबाव दायर करें एवं विशेष जानकारी हेतु कार्यालय के लीगल एडभाईजर का मोबाईल नं0-7484837589 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त दिवस पर उन अभिलेखों/संगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करें जो कि आप अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहें तथा उसकी एक प्रति वादी को भी उपलब्ध कराये।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ दिवस 15 माह 09 वर्ष 2020 को जारी की गयी।

अनु0-यथोक्त।



राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-

1221/आ.1-94

दिनांक-15 सितम्बर 2020

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिले से सम्बन्धित वादों के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुपालन/कार्यान्वयन स्थिति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं ऑनलाईन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि के सम्बन्ध में उल्लिखित उपरोक्त निर्देशों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।



राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-

1221/आ.1-94

दिनांक-15 सितम्बर 2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

